E-Mail

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल 462023

दूरभाष-0755-2583650 ई-मेल grant-dpi@mp.gov.in

क्रमांक अनुदान/बी/01(पूरक नस्ती)/2018-19/1066 भोपाल, दिनांक 20-7-18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
भोपाल, झाबुआ, डिण्डोरी एवं बड़वानी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में भुगतान हेतु बजट आवंटन।

--00--

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक-360/2014 में पारित निर्देश दिनांक 15/1/15 के परिपालन में अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मान्य कार्यरत शिक्षको/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाना है। तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमांक-एफ-37-10/2014/20-3 दिनांक 28/2/15 से स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त अनुक्रम में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों/ कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के एरियर राशि की चतुर्थ किस्त एवं नियमित वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट आवंटन निम्न बिन्दुओं के पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

1. उक्त विषय अन्तर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग को दिनांक 1/1/06 से छठवॉ वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन शालेय शिक्षा विभाग के आदेशांक क्रमांक एफ-37-8/2015/20-3 दिनांक 25/7/2015 का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
2. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षको/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के मान से नियमित भुगतान एवं एरियर राशि के भुगतान के पूर्व संस्थाओं का विधिवत् संचालन का सत्यापन कर लिए जाए।
3. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षको/कर्मचारियों को देय एरियर राशि का भुगतान वास्तविक रूप से संचालित शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले को उनकी कार्यरत अवधि का ही किया जाना है।
4. एरियर राशि का भुगतान केवल उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को किया जाना है जो शिक्षण कार्य के लिए संचालित हैं उनमें शिक्षक नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य कर वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हो।
5. शासन के ज्ञाप दिनांक 31/1/2000 द्वारा इन अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया था तदनुसार इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित है। राशि समायोजन के फलस्वरूप कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले से कोई राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
6. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को जो राशि भविष्य निधि के लिए प्रदान की गई है उसका भुगतान भविष्य निधि में किया जाकर संबंधित शिक्षक से भी राशि जमा कराई जाए और यदि राशि जमा नहीं कराई गई है तो राशि की गणना कर अब भविष्य निधि में जमा कराई जाए।
7. अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में मंहगाई भत्ते एवं गृहभाड़ा भत्ता उसी दर से भुगतान किया जाए, जिस दर से समय-समय पर शासकीय शिक्षको/कर्मचारियों को भी किया गया है।

8. दिनांक 1/4/2000 के उपरान्त संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये शैक्षणिक अमले को अनुदान मद से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाए।

9. अशासकीय शालाओं में स्वीकृत अमले पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते इत्यादि को अनुदान के लिए संचालित पृथक-पृथक योजनाओं को एक ही योजना में समाहित किया गया है। सभी प्रकार के अशासकीय शालाओं के लिए अनुदान निर्धारित मापदण्ड अनुसार इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत/भुगतान किया जावेगा। परन्तु प्रत्येक स्वरूप की अशासकीय शाला में व्यय की गई राशि का लेखा संधारण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्य के लिए विशेष रूप से दायित्वपूर्ण होंगे।

स0क्र0	जिला	बजट शीर्ष 27-2202 -01-102-9949- V-42-002 अशासकीय शालाओं को अनुदान				बजट शीर्ष 40-2205 -00-101-6090-8 888- V-42-002 .गायन विद्यालयों को अनुदान
		0101	0102	0103	कुल योग	
1	भोपाल 0522003001	113099933	25487309	20708439	159295681	0
2	झाबुआ 1902003001	9778120	2203520	1790360	13772000	0
3	डिण्डोरी 1202003001	5260981	1185573	963278	7409832	0
4	बड़वानी 0202003001	475700	107200	87100	670000	0
	महायोग	128614734	28983602	23549177	181147513	0

(राशि रूपये अट्ठारह करोड़ ग्यारह लाख सैंतालीस हजार पांच सौ तेरह मात्र।)

आवंटित की जा रही राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों व एतद् विषयक शासन/विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। विगत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को नहीं भेजे गये हों तो तत्काल महालेखाकार को भेजते हुए इस कार्यालय को भी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें एवं इस वर्ष की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को राशि व्यय उपरान्त भेजना सुनिश्चित करें।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक अनुदान/बी/01(पूरक नस्ती)/2018-19/1667 भोपाल, दिनांक 28-7-18

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर म.प्र.।
4- जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, झाबुआ, डिण्डोरी एवं बड़वानी म.प्र.।
5- सहायक संचालक (बजट) स्थानीय की ओर उक्त राशि शीघ्र बजट सर्वर में फीड कराये जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.